तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तार[...] अहकाम जो [...] हुक्म की ता[...] में जारी हु[...]
5-4-17	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर [illegible] ~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त [illegible] स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-4-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
12-4-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। वकील वादी ने फर्द के साथ दो क़िता नकल जमाबंदी पेश की। वास्ते जवाब पत्रावली दि० 26-4-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26-4-17	वकील ~~[illegible]~~ वादी उपस्थित हैं। प्रतिवादी नं० 11 के वकील व स्वयं प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। अतः प्रतिवादी सं० 11 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादी ने वादी रामदयाल के बयान कराए। शेष साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली दि० 3-5-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3-5-17	वकील वादी उप० है। शेष साक्ष्य हेतु पत्रावली दि० 17-5-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17-5-17	वकील वादी उप०। वकील वादी प्रकरण में और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 30-6-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30-6-17	वकील वादी उप०। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

कले[...]
मुक[...]
82/[...]
रामद[...]

1. र[...]
2. र[...]
3. र[...]
4. गं[...]
5. न[...]
6. प्रे[...]
7. कै[...]
8. शि[...]
9. गं[...]
10. बृ[...]
11. क[...]
12. लै[...]

उपरि[...]

है वि[...]
वादी [...]
की भू[...]
2 बी[...]
1061 [...]
ख0नं[...]
ग्राम [...]
पिता [...]
एकीक[...]
1380,[...]

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
82/2015	9.7.2015	30.6.2017

रामदयाल पुत्र हजारी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. रामकरण पुत्र जयनारायण, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. रामचरण पुत्र जयनारायण, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
3. रमेशचन्द पुत्र मुरारी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
4. गोविन्द पुत्र रामभरोसी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
5. नरोत्तम पुत्र रामभरोसी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
6. प्रेमदेवी पत्नि रामभरोसी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
7. कैलाश पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
8. शिवप्रसाद पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
9. गोवर्धन पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
10. बृजभूषण पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
11. कल्याण पुत्र श्रीनारायण, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :—श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र, एडवोकेट, वादी की ओर से

श्री शिवचरण शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी 11 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादी रामदयाल ने इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के पितामह स्व0 कन्हैया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि एकीकरण पूर्व सं0 1991 से 2000 में साबिक ख0नं0 137/1 रकबा 2 बीघा 17 विस्वा, ख0नं0 137/2 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 1061/2 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, ख0नं0 1106 रकबा 5 बीघा 11 विस्वा, ख0नं0 1107 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, ख0नं0 1177 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा ग्राम चूली में स्थित है। इसके बाद चकबंदी में यह भूमि प्रतिवादी सं0 9 के पिता स्व0 श्रीनारायण के नाम बडा पुत्र होने के कारण दर्ज कर दी गई। एकीकरण सं0 2003 लगायत 2022 में इस भूमि के नम्बर 262, 1347, 1364, 1380, 1476, 1565, 1566, 1378/1593 बने। यद्यपि सबसे बडा पुत्र होने के नाते श्रीनारायण के नाम दर्ज हो गई थी किन्तु उपरोक्त भूमि में श्रीनारायण

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

के अलावा उसके भाई हजारी, जयनारायण एवं जौहरीलाल अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते रहे। चारो भाईयों ने भूमि बांट रखी थी। हाल भू–प्रबन्ध में इस भूमि के ख0नं0 1416,1418, 1419, 1420, 1423, 1597, 1598, 1636, 1637, 1670, 1751, 1752 बने हैं। चूंकि भूमि श्रीनारायणके नाम दर्ज हो गई थी इसलिए श्रीनारायण के स्वर्गवास होने के बाद इस भूमि का नामान्तरकरण उनके पुत्र कल्याण के नाम ही खोल दिया। राजस्व अभियान में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 8 के पिताओं द्वारा एक प्रार्थनापत्र पेश किया था जिस पर दिनांक 13.4.75 को ग्राम पंचायत द्वारा एक नामान्तरकरण भी तस्दीक किया गया परन्तु साबिक खसरा नम्बरों पर नामान्तरकरण तस्दीक हो जाने के बाबजूद भी राजस्व कागजो में इसका अमल नहीं किया गया एवं भूमि नवीन नम्बरो में प्रतिवादी सं0 9 के नाम दर्ज कर दी गई। वादी का उपरोक्त भूमि में 1/4 हिस्सा है एवं इसी अनुसार वह अपने 1/4 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। भूमि में अन्य प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे हैं। माह जनवरी 1993 में वादी ने प्रतिवादी सं0 9 से राजस्व कागजो में वादी के नाम उसका हिस्सा दर्ज करवाने को कहा तो उसने मना कर दिया। वादी ने इस बाबत पूर्व में भी वादपत्र संख्या 291/2001 उनवानी रामदयाल बनाम रामकरण माननीय न्यायालय में पेश किया था जो दिनांक 6.7.2001 को डिक्री हो गया किन्तु उस दावे में ख0नं0 1752 के स्थान पर ख0नं0 1753 टाईप की गलती से अंकित हो गया एवं उसी अनुसार ख0नं0 1753 के लिए दावा डिक्री भी हो गया परन्तु सही नम्बर 1752 रहा है। इस त्रुटि को सही करने के लिए वादी ने एक आवेदन माननीय न्यायालय में पेश किया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 7.4.14 को अस्वीकार कर पृथक से कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। वादी ने दिनांक 3.7.15 को राजस्व अभियान में ख0नं0 1753 के स्थान पर 1752 नम्बर दुरुस्त करने हेतु निवेदन किया परन्तु वह स्वीकार नहीं किया गया। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ख0नं0 1752 रकबा 0.78 हैक्टर भूमि ग्राम चूली में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी प्रकार राजस्व रेकार्ड में दुरुस्ती की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए । अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 प्रदर्श–1, नकल निर्णय न्यायालय उपजिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी दिनांक 6.7.2002 उनवानी मुकदमा रामदयाल बनाम रामकरण वगैरा प्रदर्श–2, नकल दावा उनवानी रामदयाल बनाम रामकरण वगैरा प्रदर्श–3, नकल डिक्री दिनांक 6.7.2002 प्रदर्श–4, नकल आदेशिका दिनांक 7.4.14 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 प्रदर्श–7, प्रदर्श–8 पेश किए हैं एवं वादी रामदयाल के बयान कराए हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं कोई मौखिक साक्ष्य भी नहीं कराए गए हैं।

पत्रावली दिनांक 30.6.2017 को राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प गंगापुर सिटी में रखी गई। लोक अदालत में वादी के वकील उपस्थित हुए।

बहस विद्वान वकील वादी सुनी गई।

वादी के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल वादपत्र उनवानी रामदयाल बनाम रामकरण वगैरा प्रदर्श–3 के अवलोकन से विदित है कि वादी ने भूमि ख0नं0 1416, 1418, 1419, 1420, 1423, 1597, 1598, 1636, 1637, 1670, 1751, 1753 ग्राम चूली में उसका 1/4 हिस्सा घोषित करने हेतु इस न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था। नकल निर्णय दिनांक 6.7.2002 प्रदर्श–2 के अनुसार वादी का यह दावा डिक्री कर दिया गया एवं इसके अनुसार वादी के नाम 1/4 हिस्से की भूमि दर्ज हो गई परन्तु इस दावे में ख0नं0 1753 के लिए जो निर्ण दिया गया वह वास्तव में ख0नं0 1752 था। ख0नं0 1753 को ख0नं0 1752 करने बाबत वादी ने इस न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 7.4.14 को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया गया कि ख0नं0 1752 के बाबत डिक्रीदार पृथक से कार्यवाही करे। तत्पश्चात् वादी ने ख0नं0 1752 ग्राम चूली में उसका 1/4 हिस्सा दर्ज करने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है जो इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 6.7.2002 के अनुसार डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 1752 रकबा 0.78 हैक्टर ग्राम चूली में वादी रामदयाल पुत्र

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स.मा.)

हजारी ब्राह्मण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.6.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

रामदयाल पुत्र हजारी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. रामकरण पुत्र जयनारायण, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. रामचरण पुत्र जयनारायण, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
3. रमेशचन्द पुत्र मुरारी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
4. गोविन्द पुत्र रामभरोसी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
5. नरोत्तम पुत्र रामभरोसी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
6. प्रेमदेवी पत्नि रामभरोसी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
7. कैलाश पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
8. शिवप्रसाद पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
9. गोवर्धन पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
10. बृजभूषण पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
11. कल्याण पुत्र श्रीनारायण, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. – 82/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र मिश्र, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई —— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 1752 रकबा 0.78 हैक्टर ग्राम चूली में वादी रामदयाल पुत्र हजारी ब्राह्मण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दर्ज किया जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.6.2017 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		